न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 20/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हंसराज जैन पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी पुराना बाजार पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर।
फर्मः– मैसर्स जैन सीमेंट एजेंसी बस स्टेण्ड पांचौडी।

2 गोविन्द कुमार कायान पुत्र श्यामसुन्दर कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal)
फर्मः– मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001

3 संदीप कुमार कायान पुत्र बिजोय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal)
फर्मः– मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001

4 निर्माला देवी कायान पुत्री विजय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal)
फर्मः– :– मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001

5 श्याम सुन्दर कायान पुत्र इन्द्रचन्द कायान निवासी निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal)
फर्मः– मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001

6 फर्मः– मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001

आदेश

दिनांक :27.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25-10-2018 को मैसर्स जैन सीमेंट एजेंसी बस स्टेण्ड पांचौडी, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चाय (प्यारेलाल गोल्ड ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1040 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/773/एक्ट/2018/791 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ चाय (प्यारेलाल गोल्ड ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण हंसराज जैन पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी पुराना बाजार पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर, गोविन्द कुमार कायान पुत्र श्यामसुन्दर कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal), संदीप कुमार कायान पुत्र बिजोय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal), निर्माला देवी कायान पुत्री विजय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal), श्याम सुन्दर कायान पुत्र इन्द्रचन्द कायान निवासी निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal) तथा मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-03-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 01 ने दिनांक 12.03.2022 को अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता ने दिनांक 19.07.2019 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 18.05.2022 को अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थी सख्या 03 से 05 को दो बार दिनांक 29.04.2019 तथा 30.07.2019 को जरिये रजि. ए.डी. नोटिस के तलब किया गया मगर वे गैर हाजिर रहे है। अप्रार्थी संख्या 06 दिनांक 18.02.2020 के जरिये रजि. ए.डी. नोटिस के तलब किया गया मगर वे गैर हाजिर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से प्यारेलाल गोल्ड (चाय पत्ती) का नमूना भरा जो मैनें मैसर्स श्याम सुन्दर विजयकुमार चांदपोल बाजार से खरीद किया था। मेरी कोई गलती नहीं, जैसा माल आता है वैसा ही सीलबन्द बेचता हूं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 02 पर जो आरोप लगाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

है वह उसे लोक अदालत की भावना से स्वीकार है, अप्रार्थी द्वारा पुनः उक्त जुर्म की पुनरावृति नहीं की जायेगी एवं अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/773/एक्ट/2018/791 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (प्यारेलाल गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 हंसराज जैन पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी पुराना बाजार पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 गोविन्द कुमार कायान पुत्र श्यामसुन्दर कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal) पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 संदीप कुमार कायान पुत्र बिजोय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal) पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 निर्माला देवी कायान पुत्री विजय कुमार कायान निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal) पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 05 श्याम सुन्दर कायान पुत्र इन्द्रचन्द कायान निवासी निवासी P-148 B C.I.T. Scheme VI Kolkatta (Calcutta) (West Bengal) तथा अप्रार्थी संख्या 06 मैसर्स श्याम सुन्दर बिजोय कुमार, 1013 अग्रवाल मार्केट IInd फ्लोर, मिश्राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर प्रथम 302001 संयुक्त रूप से पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, कुल रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर